

कांजा सं 2002/5/91-राभा (ख-1), दिनांक 2.5.1991

विषय:— क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के पुरस्कार के लिए अंकों का निर्धारण।

क्षेत्रीय सम्मेलनों के अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट काम करने के लिए सरकारी कार्यालयों, चैकों और उपक्रमों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के निर्णय हेतु सचिव, राजभाषा के अनुपालन से विभिन्न मदों पर निम्नलिखित अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर पुरस्कारों का निर्णय किया जाना है:-

मद	पूर्णांक
1. प्रशिक्षण	30
2. हिंदी पत्रों का हिंदी में उत्कर	20
3. धारा 3(3) का अनुपालन	20
4. हिंदी में पत्राचार	60
5. नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करना	10
6. कार्यशालाओं का आयोजन	15
7. देवनागरी में व्याकिक सुविधाओं की उपलब्धि	20
8. नियम 11 का अनुपालन	10
9. अन्य विशेष प्रयत्न—मैगजीन, हिंदी सप्ताह इत्यादि	15
कुल अंक	200

आपसे अनुरोध है कि भविष्य में होने वाले क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को सिफारिश करते समय उपर्युक्त अंकों के आधार का ध्यान रखें। आपसे यह भी अपेक्षित है कि इसे सभी संबंधित कार्यालयों में परिचालित किया जाए।

2. दिए गए अंकों का निर्धारण इस विभाग के पत्र सं 2000/7/89-राभा (ख-1) दिनांक 1-12-1989 में निहित मानदंड के अधिकमण में है।